सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड

बनाम

एन. ई. पी. सी. इंडिया लिमिटेड

13 जनवरी, 1999

[सुजाता वी. मनोहर और बी. एन. किरपाल, न्यायाधिपति]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: धारा 9 और 21

अंतरिम आदेश-मध्यस्थता शुरू होने से पहले-की मांग -ठहराया, न्यायालय मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले भी अंतरिम आदेश पारित कर सकता है-अंतरिम राहत के लिए धारा 9 के तहत आवेदन दायर करने से पहले विरोधी पक्ष को मध्यस्थता खंड का आह्वान करते हुए नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं है-हालांकि, अंतरिम आदेश पारित करने से पहले अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि एक वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद है और यह कि आवेदक विवाद को मध्यस्थता न्यायालय में ले जाने का इरादा रखता है – न्यायालय इसके साथ एक सशर्त आदेश पारित कर सकता है यह देखने के लिए कि मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदक द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाते हैं –मध्यस्थता अधिनियम, 1940, एसएस.41 (सी), 20 और अनुसूची II --अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग। --1985 में अपनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर आदर्श कानून, अनुच्छेद 9।

धारा 9 और 22 -- नियम तहत –बनाए जाने के –उच्च न्यायालयों द्वारा –ठहराया, उच्च न्यायालयों को अधिनियम के अनुरूप धारा 82 के तहत नियम बनाने चाहिए जो

आवेदन दाखिल करने के तरीके के लिए, जिन दस्तावेजों को उसी के साथ होना चाहिए और धारा 9 के तहत उसी के साथ व्यवहार करने का तरीका का प्रावधान करते हों।

प्रावधान- की व्याख्या- ठहराया,जिसका अर्थ स्वतंत्र रूप से लगाया जाना चाहिए -बिना निरस्त मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्निहित सिद्धांतों के संदर्भ के -इसका अर्थ यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए।

क़ानूनों की व्याख्याः बुनियादी नियम-शाब्दिक निर्माण का नियम-अपनाना।

शब्द और वाक्यांशः "से पहले" का अर्थ मध्यस्थता सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के संदर्भ।

प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से सभी सहायक उपकरणों के साथ दो पवन टरबाइन जनरेटरों के संबंध में किराया -खरीद करार किया था □ समझौते की शर्तों में प्रतिवादी द्वारा किश्तों में भुगतान किए जाने पर विचार किया गया था। हालाँकि, प्र□□ र्थी ने पहली पंद्रह किश्तों का भुगतान किया और उसके बाद चूक की और भुगतान नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा की जा रही कई मांगों के बावजूद नहीं किया गया।

खरीद समझौते में एक मध्यस्थता खंड था और, इसलिए, अपीलार्थी ने मध्यस्थता सुलह अधिनियम, **1996** धारा **9** के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष □□□□□ दायर किया किराया-खरीद उपकरण की अंतरिम अभिरक्षा के लिए । ट्रायल कोर्ट ने इस आशय का एक अंतरिम आदेश पारित किया।

प्रतिवादी ने निचली अदालत के उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने याचिका इस आधार पर □□ मंजूरी दी कि चूंकि कोई मध्यस्थता कार्यवाही लंबित नहीं थी और यहां तक कि मध्यस्थ भी नियुक्त नहीं किया गया था, धारा **9** के तहत एक आवेदन केवल अंतरिम राहत प्राप्त

करने के लिए **1996** का अधिनियम बनाए रखने योग्य नहीं था और इसलिए, विचारण न्यायालय को इस तरह के आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इसलिए यह अपील की गई है।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया-

1.1 . मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996** के तहत न्यायालय धारा **9** के तहत अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। मध्यस्थता कार्यवाही तभी शुरू होती है जब अधिनियम की धारा **21** के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा विवाद को संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त किया जाता है। धारा **9** में आने वाले तात्विक शब्द "मध्यस्थता कार्यवाही से पहले या उसके दौरान" हैं। यह स्पष्ट है कि दो चरणों का खाका तैयार करता है जब न्यायालय अंतरिम आदेश पारित कर सकता है, अर्थात् मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान या मध्यस्थता कार्यवाही से पहले। ऐसा □□□ कारण नहीं है **1996** के अधिनियम की धारा **9** का शाब्दिक अर्थ क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। उक्त खंड में आने वाले "पहले" शब्द का अर्थ दिया जाना चाहिए। एकमात्र व्याख्या जो दी जा सकती है वह यह है कि न्यायालय मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। अदालत को क्षेत्राधिकार है धारा **9** के तहत किसी आवेदन पर विचार करने का या तो मध्यस्थता कार्यवाही से पहले या मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान या मध्यस्थता अधिनिर्णय के बाद लेकिन इससे पहले धारा **36** के अनुसार लागू किया जाए। अधिनियम से। **[98 -** जी-एच; **99-**ए-डी**]**

1.2 . हालाँकि, जब कोई पक्ष **1996** के अधिनियम की धारा **9** के तहत आवेदन करता है यह निहित है कि यह स्वीकार करता है कि एक अंतिम और बाध्यकारी मध्यस्थता समझौता अस्तित्व में है। यह भी निहित है कि एक विवाद उत्पन्न हुआ होगा जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित है। धारा **9** में आगे विचार किया गया है पक्षों के बीच मध्यस्थता की कार्यवाही चल रही है। जब धारा **9** के तहत एक आवेदन मध्यस्थ कार्यवाही शुरू होने से पहले दायर किया जाता है, तो मध्यस्थ कार्यवाही का

सहारा लेने के लिए आवेदक की ओर से स्पष्ट इरादा होना चाहिए, यदि, उस समय जब धारा **9** के तहत आवेदन दायर किया जाता है, **1996** अधिनियम की धारा **21** के तहत कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। धारा **9** में होने वाली "मध्यस्थता कार्यवाही से पहले या उसके दौरान" शब्दों को पूर्ण प्रभाव देने के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि धारा **9** के तहत आवेदन दायर करने से पहले मध्यस्थता खंड को लागू करने वाला नोटिस विपरीत पक्ष को जारी किया जाना चाहिए। किसी दिए गए मामले में नोटिस जारी करना, विवाद को मध्यस्थ न्यायाधिकरण में भेजने के स्पष्ट इरादे को स्थापित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है; लेकिन एक स्थिति में यह मांग हो सकती है कि एक पक्ष पहले भी अंतरिम उपाय के लिए धारा **9** के तहत आवेदन करना चुन सकता है उक्त अधिनियम की धारा **21** द्वारा विचारित एक नोटिस जारी करना। यदि कोई आवेदन इस प्रकार किया जाता है तो न्यायालय को पहले संतुष्ट होना होगा कि एक वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद है और आवेदक विवाद को मध्यस्थता में ले जाने का इरादा रखता है। एक बार जब वह संतुष्ट हो जाता है तो न्यायालय के पास धारा **9** के तहत तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अंतरिम सुरक्षा देने वाले आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा। ऐसा आदेश पारित करते समय और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं, न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए धारा **9** के तहत आवेदक को ऐसी शर्तों पर रखने के लिए सशर्त आदेश पारित किया जा सकता है जो यह देखने के लिए उपयुक्त हो कि आवेदक द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। हालाँकि, जो स्पष्ट है, वह यह है कि न्यायालय को धारा **9** के तहत किसी आवेदन पर विचार करने से केवल इसलिए नहीं रोका गया है क्योंकि **1996** अधिनियम की धारा **21** के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। **[102-**सी**-**एच**]**

चैनल टनल ग्रुप लिमिटेड बनाम बाल्फोर बेट्टी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड **[1992] 2** एल. एल. आर., संदर्भित।

मध्यस्थता **21** वें संस्करण पर रसेल □□ **.386,** संदर्भित।

2.1. 1996 के अधिनियम में मध्यस्थता अधिनियम, **1940** की धारा **20** के समान कोई प्रावधान नहीं है। न ही धारा **9** या धारा **17** के **1940** के अधिनियम की धारा **41 (**बी**)** और दूसरी अनुसूची □□ □□□□ □□ □ □□□□ **8** नए अधिनियम **1940** के अधिनियम की धारा **20** के अनुरूप नहीं है। यह केवल तभी है जब कोई कार्यवाही , जो न्यायालय के समक्ष लंबित है, कि एक पक्ष आवेदन करता है कि मामला एक मध्यस्थता समझौते का विषय है क्या अदालत को पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अधिकार क्षेत्र मिलता है। उक्त प्रावधान ऐसा नहीं है **1940** अधिनियम की धारा **20** के विपरीत, एक पक्ष मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन करने पर विचार करें, जब न्यायालय के समक्ष कोई मामला लंबित न हो। **1996** के अधिनियम के तहत मध्यस्थों की नियुक्ति धारा **11** के प्रावधान के अनुसार की जाती है, जिसके लिए न्यायालय को मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए न्यायिक आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। **[98-**डी**-**एफ**]**

संत राम एंड कंपनी बनाम राजस्थान राज्य, **[1997] 1** एससीसी **147,** अप्रयोज्य □□□□□□ □□□□

2.2 . इसके अलावा, **1996** के अधिनियम की धारा **82** उच्च न्यायालय को अधिनियम के अनुरूप नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। सभी उच्च न्यायालयों ने अब तक इस तरह नियम बनाना ,नहीं किया है। जबकि धारा **84** केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करती है **-**अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाएँ, उच्च न्यायालयों को चाहिए साथ ही, जहाँ भी आवश्यक हो, नियम बनाएँ। अगर ऐसे नियम लागू होते हैं तो यह अधिनियम की धारा **9** के तहत न्यायशास्त्र का प्रयोग करते समय न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के साथ मददगार होगा। नियम में तरीका प्रदान किया जा सकता है कौन सा आवेदन दाखिल किया जाना चाहिए, किन

दस्तावेजों के साथ होना चाहिए इस तरह के आवेदनों को जिस □□□□□ □□ न्यायालयों द्वारा निपटाया जाएगा। इसलिए, उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे उचित नियम व्यवस्था बनाएँ ताकि यथासंभव शीघ्रता से □□□□□□□□□□ मामलों का संतोषजनक और त्वरित निपटान □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ **[103 -** ए**-**सी**]**

3. 1996 का अधिनियम मध्यस्थता अधिनियम**, 1940** से बहुत अलग है। अतः अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या और अर्थ स्वतंत्र रूप से लगाया जाना चाहिए और वास्तव में **1940** के अधिनियम का □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ की ओर ले जाता है। दूसरे शब्दों में **1996** के अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या को **1940** के अधिनियम के अंतर्निहित सिद्धांतों से अप्रभावित होने चाहिए । □□ प्रावधानों को लागू करने में सहायता प्राप्त करने के लिए यह अधिक प्रासंगिक है कि **1940** के अधिनियम के बजाय यूएनसीआईटीआरएएल **(**संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आयोग □□□□□□□□ □□□□□**)**आदर्श कानून का संदर्भ लें। **[96 -** सी**-**डी**]**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 141-143/1999

मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांकित 22.6.98 निर्णय और आदेश से, जो कि सी. आर. पी. सं. 1421-23 और सी. एम. पी. सं. 6698-6701/ 1998 में पारित किया गया।

अपीलार्थी की ओर से हरीश साल्वे और के. स्वामी।

गोपाल सुब्रमण्यम, गोपाल जैन, अरविंद कुमार, ए. चौधरी, प्रत्यार्थी श्रीमती एम. करंजावाला के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था

किरपाल**,** न्यायाधिपति

अनुमति मंजूर की गई।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो इन मामलों में विचार के लिए उत्पन्न होता है यह है कि क्या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद '1996 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 9 के तहत न्यायालय को मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले और मध्यस्थ नियुक्त होने से पहले अंतरिम आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार है।

प्रासंगिक तथ्य जो विचार के लिए आवश्यक हैं कि मुद्दा यह है कि प्रतिवादी ने सभी सहायक उपकरणों के साथ दो पवन टरबाइन जनरेटरों की आपूर्ति के संबंध में अपीलार्थी के साथ एक किराया-खरीद समझौता किया था। समझौते की शर्तें प्रत्यर्थी द्वारा किश्तों में भुगतान किए जाने पर विचार करते हुए, पहली किश्त 29 सितंबर, 1995 को देय थी और अंतिम देय थी 25 अगस्त, 1998 तक। कुल मिलाकर भुगतान 36 किश्तों में किया जाना था।

अपीलार्थी के अनुसार प्रत्यार्थी ने पहले पंद्रह किश्तों का भुगतान किया और उसके बाद चूक की गई और भुगतान नहीं किया गया अपीलार्थी द्वारा कई माँगें किए जाने के बावजूद। किराया-खरीद समझौते में एक मध्यस्थता खंड था जो इस प्रकार हैः

> "इस किराए से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, मतभेद और/या दावे किराया-खरीद समझौता चाहे उसके निर्वाह के दौरान हो या उसके बाद मध्यस्थता द्वारा भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के प्रावधान अनुसार या उसका कोई वैधानिक संशोधन के अनुसार निपटाया जाएगा और मालिक के प्रबंध निदेशक द्वारा नामित

मध्यस्थ की एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। ऐसे मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और इस समझौते के सभी पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

इस समझौते की शर्त यह है कि ऐसे मध्यस्थ, जिसके पास मामला मूल रूप से भेजा गया है, के कार्य करने या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में, मालिक के प्रबंध निदेशक, मध्यस्थ की ऐसी मृत्यु या मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में असमर्थता के समय, मध्यस्थ के रूप में बैठने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति उस चरण से संदर्भ के साथ आगे बढ़ने का हकदार होगा जिस पर इसे उसके पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया था।"

जब अपीलार्थी को पता चला कि उसके खिलाफ अन्य मुकदमे लंबित हैं प्रत्यार्थी ने 1996 के अधिनियम की धारा 9 के तहत सिटी ट्रायल कोर्ट, चेन्नई के समक्ष, एक आवेदन दायर किया एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए अधिवक्ता आयुक्त किराया-खरीद मशीनरी/उपकरण को अपने कब्जे में लेंगे और उसी को अंतरिम अभिरक्षा में पुनर्स्थापित करें।

यह आवेदन सुनवाई के लिए लिया गया 7 अप्रैल 1998 को और ट्रायल कोर्ट ने एक आयुक्त नियुक्त करने का अंतरिम आदेश पारित किया पुलिस की मदद से टर्बाइनों को अपने कब्जे में लेने के लिए ।

ट्रायल कोर्ट के उक्त आदेश को प्रतिवादी ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका दायर करके चुनौती दी थी। प्रत्यार्थी की ओर से मुख्य दलीलों में से एक यह थी कि चूंकि कोई मध्यस्थता कार्यवाही लंबित नहीं थी और यहां तक कि मध्यस्थ की नियुक्ति भी नहीं की गई थी, केवल अंतरिम राहत प्राप्त करने के लिए 1996 अधिनियम की धारा 9 के तहत एक आवेदन सुनवाई योग्य नहीं था। गुण-दोष के आधार पर यह तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश अनावश्यक था। ट्रायल कोर्ट के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले भी अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है।

22 जून 1998 के अपने फैसले के अनुसार, उच्च न्यायालय ने प्रत्यार्थी की याचिका को अनुमति दी। अपने निर्णय में, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 41 और 1996 अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः

> "1940 के अधिनियम की दूसरी अनुसूची न्यायालय की शक्तियाँ हैं और मद सं. 4 "अंतरिम निषेधाज्ञा या प्राप्तकर्ता की नियुक्ति" है।"इसलिए, अनुसूची 2 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 41 और वर्तमान धारा 9 मध्यस्थता अधिनियम, के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है। इसके अलावा, यदि अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा दी गई व्याख्या जैसी व्याख्या धारा 9 को दी जाती है तो अधिनियम

का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। कोई भी पक्ष, जिसके पास किसी अन्य के साथ मध्यस्थता के लिए समझौता है, वह ऐसा कर सकता है कि सिविल कोर्ट में भागें और तुरंत धारा 9 के तहत आदेश प्राप्त करें और उसके बाद मामले को मध्यस्थता को भेजे बिना चुप रहें। इसका अधिनियम के प्रावधानों पर बहुत गंभीर परिणाम होगा । वर्तमान मध्यस्थता अधिनियम को लागू करने में विधायिका का इरादा यह नहीं हो सकता ।

इसके अलावा, यह तथ्य कि धारा 9 धारा 8 के बाद आती है जो इसके बाद आती है जो मध्यस्थता के विवादों के संदर्भ से संबंधित है, धारा 9 की एकमात्र व्याख्या यह दी जा सकती है कि जब मध्यस्थता की कार्यवाही लंबित हो मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष तो इसका लाभ उठाया जा सकता हो या उससे पहले संदर्भ स्तर पर हो न्यायालय के समक्ष या जब मध्यस्थता निर्णय दे दिया गया है।"

इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि अधिनियम 1996 की धारा 9 के तहत आवेदन निचली अदालत के समक्ष को गलत समझा गया था, क्योंकि इस तरह के आवेदन को दायर करने के समय अपीलार्थी द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश के गुण-दोष पर विचार नहीं करने का फैसला किया उसकी राय में निचली अदालत को इस तरह के आवेदन

पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। इसलिए विशेष अवकाश द्वारा ये अपीलें की जाती हैं।

मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के तहत, न्यायालय की अंतरिम आदेश पारित करने के लिए शक्ति मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की दूसरी अनुसूची के साथ पठित धारा 41 (बी) से लिया गया था। प्रत्यार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने इस पर भरोसा जताया संत राम एंड कंपनी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, [1997] 1 एस. सी. सी. 147 जिसमें पृष्ठ 150 पर यह कहा गया था कि "मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के लंबित होने की शुरुआत, अतः, अधिनियम की दूसरी अनुसूची के तहत दीवानी न्यायालय द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए एक पूर्व शर्त होगी।" भले ही 1940 के अधिनियम के तहत यह स्थिति हो, फिर भी हमें यह जांचना होगा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की घोषणा के साथ कानून में कोई बदलाव हुआ है या नहीं।

1996 के अधिनियम की घोषणा से पहले मध्यस्थता पर कानून भारत में तीन अधिनियमों में काफी हद तक समाहित किया गया था, जो थे द आरबिट्रेशन एक्ट, 1940, द आर्बिट्रेशन (प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन) एक्ट, 1937 और द फॉरेन अवार्ड्स (रिकग्निशन एंड एनफोर्समेंट) एक्ट, 1961। विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह कहा गया था कि 1940 का अधिनियम, जिसमें मध्यस्थता का सामान्य कानून शामिल था, पुराना हो गया था। उक्त उद्देश्यों और कारणों पर ध्यान दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (यू एन सी आई टी

आर ए एल) ने 1985 में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर आदर्श कानून को अपनाया। महासभा ने सिफारिश की थी कि सभी देश उक्त आदर्श कानून पर उचित विचार करें, जिसमें नियमों के साथ, दुनिया की विभिन्न कानूनी प्रणालियों की मध्यस्थता और सुलह पर सामंजस्यपूर्ण अवधारणाएं और इस प्रकार ऐसे प्रावधान शामिल थे जो सार्वभौमिक अनुप्रयोग के लिए तैयार किए गए थे। उपरोक्त उद्देश्यों और कारणों के कथन पैरा 3 में कहा गया है कि "यद्यपि उक्त यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून और नियमों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और सुलह से निपटना है, वे उचित संशोधनों के साथ, घरेलू मध्यस्थता और सुलह पर कानून के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं। वर्तमान विधेयक का उद्देश्य घरेलू मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, विदेशी मध्यस्थ निर्णय के प्रवर्तन से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना और यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून और नियमों को ध्यान में रखते हुए सुलह से संबंधित कानून को परिभाषित करना है।

1996 का अधिनियम मध्यस्थता अधिनियम, 1940 से बहुत अलग है। अतः इस अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या और अर्थ स्वतंत्र रूप से लगाया जाना चाहिए और 1940 के अधिनियम का संदर्भ वास्तव में गलत निर्माण की ओर ले जाता है। दूसरे शब्दों में 1996 के अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या को 1940 के अधिनियम के अंतर्निहित सिद्धांतों से अप्रभावित होना होगा । इन प्रावधानों को लागू करने में सहायता प्राप्त करने के लिए यह अधिक प्रासंगिक है कि 1940 के अधिनियम के यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून का उल्लेख करें।

1996 के अधिनियम के कुछ प्रावधान जो वर्तमान मामले में धारा 2 (डी), 9,17 और धारा 21 प्रासंगिक हैं। धारा 2(डी) एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को परिभाषित करता है जिसका अर्थ एकमात्र मध्यस्थ या मध्यस्थों का एक पैनल है। 1996 के अधिनियम की धारा 9, जो न्यायालय को अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति देती है और जिसकी व्याख्या से हम वर्तमान मामले में संबंधित हैं इस प्रकार है:

"9. अदालत द्वारा अंतरिम उपाय-एक पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही इससे पहले या उसके दौरान कर सकता है या मध्यस्थता निर्णय के बाद किसी भी समय लेकिन इससे पहले कि यह धारा 36 के अनुसार लागू किया जाए, न्यायालय में आवेदन करें:

(i) नाबालिग या किसी अस्वस्थ दिमाग के व्यक्ति के लिए अभिभावक की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए; या

(ii) किसी भी निम्नलिखित मामले, में संरक्षण के अंतरिम उपाय के लिए, जैसे :

(ए) किसी भी माल का संरक्षण, अंतरिम अभिरक्षा या बिक्री जो मध्यस्थता समझौते के विषय हैं;

(बी) मध्यस्थता में विवाद की राशि को सुरक्षित करना;

(सी) किसी संपत्ति का निरोध, संरक्षण या निरीक्षण या वह वस्तु जो मध्यस्थता में विवाद का विषय है, या जिसके बारे में कोई भी प्रश्न उसमें उत्पन्न हो सकता है और उपरोक्त उद्देश्यों में से किसी के लिए किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है किसी भी भूमि या इमारत में प्रवेश करने के लिए जो किसी भी पक्ष के कब्ज़े में हो या किसी

भी नमूने को लेने के लिए या किसी भी अवलोकन को करने के लिए या किसी प्रयोग का प्रयास के लिए जो भी पूरी जानकारी या साक्ष्य के लिए आवश्यक या उपयोगी है;

(डी) अंतरिम निषेधाज्ञा या रिसीवर की नियुक्ति

(ई) सुरक्षा के ऐसे अन्य अंतरिम उपाय जो अदालत को उचित और सुविधाजनक प्रतीत हों,

और न्यायालय के पास आदेश देने की वही शक्ति होगी जो उसके समक्ष किसी भी कार्यवाही के प्रयोजन और उसके संबंध में है।"

चूंकि ये धारा "मध्यस्थ न्यायाधिकरण" को संदर्भित करती है जिसे साथ में पढ़ा जाना चाहिए धारा 21 के जो मध्यस्थता के प्रारंभ से संबंधित है और इस प्रकार हैः

> "21. मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत-जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमत न हो, एक विशेष विवाद के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन प्रत्यार्थी द्वारा विवाद के संदर्भ में मध्यस्थता के लिए अनुरोध किया जाता है।"

मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भी अंतरिम पारित करने का अधिकार क्षेत्र दिया गया है उक्त अधिनियम की धारा 17 द्वारा जो निम्नानुसार हैः

> "17. मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित अंतरिम उपायः
>
> (1) जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, मध्यस्थता न्यायाधिकरण किसी पक्षकार के अनुरोध पर , एक पक्षकार को संरक्षण का अंतरिम उपाय का आदेश कर सकता है जो मध्यस्थ

न्यायाधिकरण के विचार में ज़रूरी है विवाद की विषय-वस्तु के संबंध में।

(2) मध्यस्थ न्यायाधिकरण को उप-धारा (1) के तहत आदेशित उपाय के संबंध में एक पक्ष द्वारा उचित सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है।"

धारा 21 को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मध्यस्थता कार्यवाही उस तारीख से शुरू करें जिस दिन प्रत्यार्थी द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजे जाने वाले विवाद का अनुरोध प्राप्त किया जाता है। इस संदर्भ में हमे 1996 के अधिनियम की धारा 9 में आने वाली "मध्यस्थता कार्यवाही से पहले या उसके दौरान" अभिव्यक्ति की जांच और व्याख्या करनी होगी। हम यहां यह देख सकते हैं कि हालांकि धारा 17 मध्यस्थ न्यायाधिकरण को आदेश पारित करने की शक्ति देती है, लेकिन इसे न्यायालय के आदेशों के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि धारा 9 न्यायालय को मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करती है।

मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत स्थिति यह थी कि एक पक्ष के आवेदन दायर करके अदालत में कार्यवाही शुरू कर सकता है धारा 20 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए और साथ ही यह 1940 के अधिनियम की धारा 41 (बी) के साथ पठित धारा अनुसूची के तहत अंतरिम राहत के लिए आवेदन कर सकता है। 1996 के अधिनियम में 1940 के अधिनियम की धारा 20 के समान कोई प्रावधान नहीं है। न ही

धारा 9 या धारा 17 1940 के अधिनियम की धारा 41 (बी) और दूसरी अनुसूची के समान है। नए अधिनियम की धारा 8 1940 के अधिनियम की धारा 20 के समान नहीं है। यह केवल तभी होता है जब न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्रवाई में कोई पक्ष यह लागू करता है कि मामला मध्यस्थता समझौते का विषय है क्या अदालत को पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का क्षेत्राधिकार है। उक्त प्रावधान 1940 के अधिनियम की धारा 20 के विपरीत, किसी पक्ष के मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए अदालत में आवेदन करने पर विचार नहीं करता है, जब कोई मामला अदालत के समक्ष लंबित न हो। 1996 के अधिनियम के तहत मध्यस्थों की नियुक्ति धारा 11 के प्रावधान अनुसार की जाती है जिसमें न्यायालय को मध्यस्थों की नियुक्ति करने के लिए न्यायिक आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालय गलत था नए अधिनियम की धारा 9 की व्याख्या करते हुए 1940 के अधिनियम के इन प्रावधानों का उल्लेख करते हुए।

1996 के अधिनियम के तहत न्यायालय धारा 9 के तहत अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। मध्यस्थता कार्यवाही, जैसा कि हमने देखा है, केवल तभी शुरू होती है जब अधिनियम की धारा 21 के अनुसार प्रतिवादी द्वारा विवाद को संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त किया जाता है। धारा 9 में आने वाले तात्विक शब्द " पहले या उसके दौरान मध्यस्थता कार्यवाही " हैं । यह स्पष्ट रूप से दो चरणों पर विचार करता है जब न्यायालय अंतरिम आदेश पारित कर सकता है, यानी मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान या मध्यस्थता कार्यवाही से पहले। 1996 की धारा 9 का शाब्दिक अर्थ नहीं लगाए जाने का कोई कारण नहीं है।उक्त खंड में आने वाले " पहले" शब्द का अर्थ देना होगा।

एकमात्र व्याख्या दी जा सकती है वह यह कि न्यायालय मध्यस्थता कार्यवाही के प्रारंभ से पहले अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। कोई अन्य व्याख्या जैसे कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या धारा 9 में "पहले" शब्द को अनावश्यक बना देगी ।यह स्पष्ट रूप से स्वीकार्य नहीं है। भाषा न केवल इस तरह की व्याख्या की गारंटी देती है, बल्कि इस तरह प्रावधान भी न्याय के हित में होना भी आवश्यक था ।लेकिन ऐसे प्रावधान के लिए किसी भी पक्ष को धारा 21 के तहत नोटिस प्रत्यार्थी को प्राप्त होने से पहले अंतरिम उपाय के लिए आवेदन करने का अधिकार नहीं होगा। यह अज्ञात नहीं है कि यह उत्तरदाताओं को तामील करना कब कठिन हो जाता है। इसलिए, यह आवश्यक था कि अधिनियम में ऐसा प्रावधान किया जाए जो किसी पक्ष को अपने हितों की रक्षा करने के लिए तत्काल अंतरिम राहत प्राप्त करने में सक्षम बना सके। धारा को समग्र रूप से पढ़ने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय को धारा 9 के तहत या तो मध्यस्थता कार्यवाही से पहले या मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान या मध्यस्थता पुरस्कार देने के बाद लेकिन अधिनियम की धारा 36 के अनुसार इसे लागू करने से पहले आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।

उक्त अधिनियम की धारा 9 यूएनसीआईटीआरएल मॉडल कानून अनुच्छेद 9 के अनुरूप है जो इस प्रकार हैः

"किसी पक्ष के लिए मध्यस्थता कार्यवाही से पहले या उसके दौरान,

अदालत से सुरक्षा के अंतरिम उपाय का अनुरोध करना और अदालत

द्वारा ऐसे उपाय प्रदान करना मध्यस्थता समझौते के साथ असंगत नहीं है।"

यह अनुच्छेद 1996 के अधिनियम की धारा 9 की तरह, मध्यस्थता कार्यवाही से पहले संरक्षण के अंतरिम उपाय के लिए न्यायालय के समक्ष किए जा रहे अनुरोध को मान्यता देता है। यह संभव है कि कुछ देशों में यदि कोई पक्ष संरक्षण के अंतरिम उपाय की मांग करने के लिए न्यायालय गया, जिसका अर्थ स्थानीय कानून के तहत यह माना जा सकता है कि उक्त पक्ष ने मध्यस्थता का सहारा लेने के अपने अधिकार को छोड़ कर दिया था। यूएनसीआईटीआरएल मॉडल कानून का अनुच्छेद 9 चाहता है कि स्पष्ट करें कि केवल इसलिए कि एक मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष न्यायालय से "मध्यस्थता कार्यवाही से पहले या उसके दौरान" एक अंतरिम उपाय के लिए अनुरोध करता है ऐसी सहायता को मध्यस्थता समझौते के साथ असंगत नहीं माना जाएगा। इसे अलग तरह से रखने के लिए मध्यस्थता कार्यवाही शुरू हो सकती है और जारी रह सकती है, इसके बावजूद कि मध्यस्थता समझौते के एक पक्ष ने अंतरिम सुरक्षा के आदेश के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। 1996 के अधिनियम की धारा 9 की भाषा यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून के अनुच्छेद 9 के समान नहीं है, लेकिन 1996 के अधिनियम की धारा 9 में उपयोग की गई "मध्यस्थता कार्यवाही से पहले या उसके दौरान" अभिव्यक्ति को इस दृष्टिकोण से जोड़ा गया प्रतीत होता है - इसे वही अर्थ दें जो उन शब्दों का संयुक्त राष्ट्र सी.आई.टी.आर.ए.एल. मॉडल कानून के अनुच्छेद 9 में है। अतः यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता समझौता का कोई पक्षकार अंतरिम राहत के लिए न्यायालय से संपर्क कर सकता है न केवल मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान बल्कि

मध्यस्थता कार्यवाही से पहले भी न्यायालय से संपर्क कर सकता है ।इसके लिए। 1996 के अधिनियम की धारा 9 का विस्तार यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून 9 के समान है।

इंग्लैंड के आर्बिट्रेशन एक्ट, 1996 में कुछ हद तक समान प्रावधान का उल्लेख करना भी उपयोगी होगा। इस अधिनियम की धारा 44 न्यायालय को ऐसी शक्तियाँ जो मध्यस्थ कार्यवाहियों के समर्थन में प्रयोग की जा सकती हैं। धारा 44 की उप-धारा (3) अत्यावश्यकता के मामले में, न्यायालय को "मध्यस्थ कार्यवाही के लिए प्रस्तावित पक्ष" के आवेदन पर भी उप-धारा (2) द्वारा विचार किया गया आदेश देने की अनुमति देती है। इस उप में प्रयुक्त अभिव्यक्ति " मध्यस्थता कार्यवाही के लिए पक्ष या प्रस्तावित पक्ष " से पता चलता है कि जहां मध्यस्थता कार्यवाही शुरू हो गई है तो आवेदन स्पष्ट रूप से होगा उक्त कार्यवाहियों के पक्षकार का होगा लेकिन जहां मध्यस्थता कार्यवाही को शुरू नहीं किया है एक "प्रस्तावित पार्टी" को अदालत का रूख़ करने का अधिकार दिया गया है। मध्यस्थता कार्यवाही के लिए एक प्रस्तावित पक्षकार, इसलिए, वह व्यक्ति बनें जो मध्यस्थता समझौते का पक्षकार हो और जहाँ विवाद उत्पन्न हुए हैं लेकिन मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू नहीं हुई है।अंग्रेजी अधिनियम की धारा 44 का उल्लेख करते हुए मध्यस्थता कार्यवाही के समर्थन में अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुदान के प्रश्न पर पृष्ठ 386 पर मध्यस्थता (21 वां संस्करण) पर रसेल ने कहा हैः

> "न्यायालय अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग इससे पहले कर सकता है। कि मध्यस्थता या मध्यस्थों की

नियुक्ति के लिए कोई अनुरोध किया गया हो, बशर्ते कि आवेदक का इरादा विवाद को नियत समय में मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का हो।"

धारा 44 के तहत अंतरिम निषेधाज्ञा देने की शक्ति अधिनियम का विस्तार उचित मामलों में मारेवा निषेधाज्ञा देने तक है। इसमें एक अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा देना भी शामिल हो सकता है। हालांकि अदालत निषेधाज्ञा देने में धीमी होगी जो अनिवार्य रूप से उसी तरह का उपाय प्रदान करती है जैसा अंततः मध्यस्थ न्यायाधिकरण से मांगा जा रहा है ।

हमारी राय में यह दृष्टिकोण कानून में स्थिति का सही प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात्, मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले भी न्यायालय अंतरिम राहत प्रदान कर सकता है। उक्त प्रावधान में वही सिद्धांत है जो 1996 के अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत आता है।

हमारा ध्यान इंग्लैंड कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के प्रश्न से संबंधित (द चैनल टनल ग्रुप लिमिटेड और फ्रांस मांचे एस.ए. बनाम बाल्फोर बेट्टी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और अन्य, [1992] 2 लॉयड्स लॉ रिपोर्ट्स) मामले की ओर भी आकर्षित किया गया था, इंग्लैंड न्यायालय का उस मामले में अंतरिम निषेधाज्ञा देने का आदेश जहां पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि विवादों का निपटारा मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा। अपील न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम, 1950 की धारा 12 (6) का उल्लेख किया जो निम्नलिखित रूप में प्रदान किया गया हैः

"उच्च न्यायालय को, किसी निर्देश के प्रयोजन के लिए और उसके संबंध में,-(एच) अंतरिम निषेधाज्ञा या प्राप्तकर्ता की नियुक्ति के संबंध में आदेश देने की वही शक्ति होगी जो उसे उच्च न्यायालय में किसी कार्रवाई या मामले के उद्देश्य से और उसके संबंध में है।"

इसकी व्याख्या करते हुए स्टॉटन एल.जे. ने इस प्रकार देखा:

"मेरे विचार में इस शक्ति का प्रयोग मध्यस्थता या मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए कोई अनुरोध किए जाने से पहले किया जा सकता है, बशर्ते कि आवेदक विवाद को उचित समय पर मध्यस्थता में ले जाने का इरादा रखता हो। बेशक, एस के लिए "संदर्भ" का अर्थ जो भी हो। 12 (6) (एच) (और शब्द का सटीक अर्थ निर्धारित करना हमेशा आसान नहीं होता है मध्यस्थता विधियों में) मैं यह अभिनिर्धारित करूँगा कि ऐसे मामले में न्यायालय की शक्ति का प्रयोग किसी निर्देश के उद्देश्य और उसके संबंध में किया जाएगा।"

हम उपरोक्त टिप्पणियों के संबंध में सहमत हैं जो उस दृष्टिकोण के अनुरूप हैं जो हमने 1996 का अधिनियम की धारा 9 के अर्थ में लिया है।

श्री सुब्रमण्यम द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि भले ही न्यायालय मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले धारा 9 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है, धारा 9 को लागू करने की मांग करने वाले पक्ष को मध्यस्थता करने का एक स्पष्ट इरादा व्यक्त करना होगा । विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह इरादा निम्नलिखित

रूप ले सकता हैः (ए) धारा 9 के तहत एक आवेदन में, पक्ष को यह बताना होगा कि वह स्पष्ट रूप से मध्यस्थता सहमति पर निर्भर करता है और यह अभिकथन करता है कि वह मध्यस्थता खंड का आह्वान करेगा; (बी) उस समय जब न्यायालय धारा 9 के तहत एक अंतरिम आदेश पारित करता है, तो पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष एक स्पष्ट वचन दिया जाता है कि वह मध्यस्थता खंड को तुरंत और एक निश्चित अवधि के भीतर लागू करेगा; और (सी) मध्यस्थता खंड का आह्वान करने वाला एक नोटिस विपरीत पक्ष को जारी किया जाना चाहिए था। यह तर्क दिया गया कि धारा 9 के तहत केवल आवेदन दायर करना इस हद तक स्पष्ट इरादे को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

जब कोई पक्ष 1996 के अधिनियम की धारा 9 के तहत आवेदन करता है तो यह निहित है कि वह स्वीकार करता है कि इसमें आस्तित्व में एक अंतिम और बाध्यकारी मध्यस्थता समझौता है। यह भी निहित है कि एक विवाद उत्पन्न हुआ होगा जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित है। धारा 9 आगे पक्षकारों के बीच मध्यस्थता कार्यवाही पर विचार करती है। श्री सुब्रमण्यम को यह प्रस्तुत करने का अधिकार है कि जब मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले धारा 9 के तहत कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो आवेदक की ओर से मध्यस्थता कार्यवाही का सहारा लेने का स्पष्ट इरादा होना चाहिए, यदि उस समय जब धारा 9 के तहत आवेदन दायर किया जाता है, 1996 के अधिनियम की धारा 21 के तहत कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। धारा 9 में आने वाली "मध्यस्थता कार्यवाही से पहले या उसके दौरान" शब्दों को पूरी तरह से प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि धारा 9 के तहत आवेदन दायर करने से पहले मध्यस्थता खंड

का आह्वान करने वाली सूचना विरोधी पक्ष को जारी की जाए। किसी मामले में नोटिस जारी करना, विवाद को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजे जाने के स्पष्ट इरादे को स्थापित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी मांग कर सकती है कि कोई पक्ष उक्त अधिनियम की धारा 21 द्वारा अनुध्यात नोटिस जारी करने से पहले भी अंतरिम उपाय के लिए धारा 9 के तहत आवेदन करने का विकल्प चुन सकता है। यदि कोई आवेदन इस प्रकार किया जाता है तो न्यायालय को पहले संतुष्ट होना होगा कि एक वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद है और आवेदक विवाद को मध्यस्थता में ले जाने का इरादा रखता है। एक बार जब यह संतुष्ट हो जाता है तो न्यायालय के पास धारा 9 के तहत ऐसे अंतरिम संरक्षण देने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा जो तथ्यों और परिस्थितियों के लिए आवश्यक है। ऐसा आदेश पारित करते समय और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं, न्यायालय धारा 9 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आवेदक को ऐसी शर्तों पर रखने के लिए सशर्त आदेश पारित कर सकता है जो वह यह देखने के लिए उचित समझे कि मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदक द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए हैं। हालाँकि, जो बात स्पष्ट है वह यह है कि न्यायालय को धारा 9 के तहत किसी आवेदन पर विचार करने से केवल इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है क्योंकि 1996 अधिनियम की धारा 21 के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।

एक और पहलू है जिस पर हमारा ध्यान देने की आवश्यकता है। 1996 का अधिनियम की धारा 82 उच्च न्यायालय को इसके अनुरूप नियम बनाने की शक्ति देता

है । हमें बताया गया कि सभी उच्च न्यायालयों ने अब तक नियम नहीं बनाये हैं जबकि धारा 84 केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति देती है, उच्च न्यायालय को भी, जहां आवश्यक हो, नियम बनाना चाहिए। यह सहायक होगा यदि ऐसे नियम अधिनियम की धारा 9 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित हों। नियमों में यह प्रावधान किया जा सकता है कि किस तरह से आवेदन दाखिल किया जाना चाहिए, उसके साथ कौन से दस्तावेज होने चाहिए और किस तरह से ऐसे आवेदनों को अदालतों द्वारा निपटाया जाएगा। इसलिए, उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे यथाशीघ्र उचित नियम बनाएं ताकि मध्यस्थता मामलों के त्वरित और संतोषजनक निपटान की सुविधा मिल सके।

उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की कि निचली अदालत को धारा 9 के तहत आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि मध्यस्थता कार्यवाही अपीलार्थी द्वारा शुरू नहीं की गई थी।

हम तदानुसार उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हैं लेकिन उच्च न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है, यह निर्देश दिया जाता है कि निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली प्रतिवादी द्वारा दायर याचिका पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाए। अपीलों का निपटान तदनुसार किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता चित्रा भदौरिया द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।